

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-423/2016- /राँची, दिनांक

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
औपचारिक रूप
से परामर्शित

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

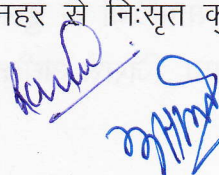
महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- गवई बराज योजना के पुनरुद्धार (ERM) कार्य हेतु रु० 13054.40 लाख (रु० एक सौ तीस करोड़ चौवन लाख चालीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग प्रक्षेत्राधीन बोकारो जिला के चास प्रखण्ड अन्तर्गत केनुआडीह ग्राम के पास गवई नदी पर निर्मित गवई बराज योजना के पुनरुद्धार (ERM) कार्य हेतु रु० 13054.40 लाख (रु० एक सौ तीस करोड़ चौवन लाख चालीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।
3. योजना का रूपांकित कुल खरीफ सिंचाई क्षमता 4636 हे० है। बाँयीं मुख्य नहर की 4175 हे० एवं दाँयीं मुख्य नहर की 461 हे० रूपांकित खरीफ सिंचाई क्षमता है। इस योजना से चास एवं चंदनकियारी प्रखण्ड के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
4. योजना की सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल करने के लिये योजना के पुनरुद्धार (ई०आर०एम०) कार्य के अन्तर्गत मुख्यतः बराज के सभी 12 गेटों का पुनरुद्धार, क्षतिग्रस्त एफलक्स बाँध का निर्माण, बराज के डाउन स्ट्रीम में लिप प्रोटेक्सन का कार्य, नहरों का तल सफाई एवं तटबंधों का सुदृढीकरण, विभिन्न नहर संरचनाओं यथा फॉल, सी०डी०, पुल, इस्केप संरचना का विशेष मरम्मत, नहर आउटलेट गेट का पुनरुद्धार, बांयी मुख्य नहर में 68 आउटलेट तथा दांयी मुख्य नहरों में 21 आउटलेट का पुनर्निर्माण, नहर इनलेट संरचना, दोनों मुख्य नहर का कन्क्रीट लाईनिंग कार्य कराने का प्रावधान किया गया है। नहर के बाहरी स्लोप पर पेड़ लगाने का प्रावधान है। मुख्य नहर से निःसृत कुल 9 वितरणियों के संरचनाओं



का पुनरुद्धार तथा वितरणियों के तल सफाई, तटबंध सुदृढीकरण एवं कन्क्रीट लाईनिंग का प्रावधान किया गया है।

मुख्य नहरों के कन्क्रीट लाईनिंग के नक्सा का Vetting (अनुमोदन) मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा किया गया है।

5. प्रस्तावित पुनरुद्धार (ERM) कार्य कराने के पश्चात् योजना का रूपांकित सिंचाई क्षमता पुर्नबहाल हो सकेगा। इस प्रकार लगभग 4636 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पुर्नबहाल हो पायेगा।
6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

योजना का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के प्रशासनिक नियंत्राधीन होगा। याँत्रिक कार्यों के लिए नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, याँत्रिक, राँची होंगे। याँत्रिक कार्यों के सही होने की सहमति कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक से प्राप्त की जायेगी।

7. योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारंभ कर अगले दो वर्षों में वर्ष 2018-19 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है। वर्ष 2015-16 में निविदा आमंत्रण तथा निष्पादन किया जा सकता है।

8. योजना का लाभ-लागत अनुपात 1.13 : 1 है।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

(i) मुख्य शीर्ष '4701' - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-54-सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 43-अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)

(ii) मुख्य शीर्ष '4701' - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 43-अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

10. वर्ष 2016-17 के लिये प्रस्तावित बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है -

a. शीर्ष 49P-4701-80-800-54-05-43 में रु० 9000.00 लाख

b. शीर्ष 49P-4701-80-796-54-05-43 में रु० 7000.00 लाख

11. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिससे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

12. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य निहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय उपायुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी तेनुघाट उप कोषागार, तेनुघाट, बोकारो से की जायेगी।
15. प्रस्तावित कार्य के लिए उपशीर्ष-54-सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के बजट में उपबंध है।
16. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
17. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
18. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
19. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
20. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
21. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
22. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-423/2016- /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-423/2016- /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, तेनुघाट उप कोषागार, तेनुघाट, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-423/2016- /राँची, दिनांक 21.03.2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)